मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (RKVY-RAFTAAR)की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की सम्पन्न 30वीं बैठक दिनांक 16 जून 2020 का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (State Level Sanctioning Committee) की 30वीं बैठक दिनांक 16 जून, 2020 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, प्रमुख सचिव, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास, समन्वय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रुप में डा0 मान सिंह, निदेशक, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, गन्ना विकास निदेशालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त विशेष सचिव, वित्त, नियोजन, कृषि, पंचायतीराज, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ग्राम्य विकास एवं रेशम उ0प्र0 शासन, निदेशक, कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य, उ0प्र0 बीज प्रमाणीकरण संस्था, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रेशम एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के साथ–साथ कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र के अन्य विभागों, कृषि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं के कुलपति, वरिष्ठ वैज्ञानिकों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

I. समिति के सदस्य सचिव, प्रमुख सचिव(कृषि), उ0प्र0 शासन द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के साथ–साथ उपस्थित समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त् अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है। योजना के मुख्य घटक के रूप में आर0के0वी0वाई0–सामान्य, जिसके तहत कृषि एवं सम्वर्गीय विभागों के कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोजनाओं यथा बी0जी0आर0ई0आई0, सी0डी0पी0–ओ0जी0आर0एस0, सी0डी0पी0–टी0आर0 एवं एनीमल हेल्थ सब–स्कीम के रूप में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 से वर्ष 2014–15 तक आर0के0वी0वाई0 100 प्रतिशत केन्द्रॉश के फण्डिंग पैटर्न पर संचालित की गई। वर्ष 2015–16 से योजना 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) के फण्डिंग पैटर्न पर संचालित की जा रही है।

II. आर0के0वी0वाई0–सामान्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार स्तर से रु0 556.48 करोड़ (केन्द्रांश रू0 333.89 करोड़ एवं राज्यांश रु0 222.59 करोड़) का एलोकेशन प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उपयोजनाओं हेतु बी0जी0आर0ई0आई0–70.63 करोड़, सी0डी0पी0–आर0आर0–रू0 42.70 करोड़, सी0डी0पी0–टी0आर0–रू0 0.96 करोड सहित कुल रू0 113.76 करोड़ (60:40) का एलोकेशन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अब तक रू0 670.24 करोड़ का एलोकेशन प्राप्त हो चुका है। एनीमल हेल्थ सब–स्कीम हेतु एलोकेशन भारत सरकार स्तर से प्रतीक्षित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020–21 में एडीशनल फाडर डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (AFDP) उपयोजना बन्द कर दी गयी है।

III. एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.03.2020 में कुल धनराशि रू0 747.05 करोड़ (आर0के0वी0वाई0–सामान्य रू0 576.88 करोड़ एवं उपयोजनाएं रू0 170.16 करोड़) की 65 परियोजनायें वर्ष 2020–21 के लिए संस्तुत की गयी है। संस्तुत परियोजनाओं के संशोधित डी0पी0आर0 लागत रू0 734.63 करोड़ भारत सरकार के अनुमोदनार्थ दिनांक 12–13.05.2020 में प्रेषित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर, अयोध्या, बॉदा, प्रयागराज एवं आई0आई0टी0–कानपुर के एग्री विजनेस इन्क्यूवेशन सेण्टरर्स के 05 परियोजना प्रस्ताव कुल लागत रू0 40.89 करोड़ एवं वर्ष 2020–21 हेतु रू0 29.92 करोड़ के डी0पी0आर0 भी भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं। समस्त प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये हैं। भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.06.2020 के द्वारा परियोजनाओं के सम्बन्ध में अभिमत उपलब्ध कराये गये हैं, परन्तु अभी कुछ परियोजनाओं पर भारत सरकार के अभिमत प्रतीक्षित हैं।

1. समिति की गत बैठक दिनांक 17.10.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की गत बैठक दिनांक 17.10.2019 को सम्पन्न हुई थी। बैठक का कार्यवृत्त शासन के पत्र सं0–1543/12–3–2019–100(04)/2019 दिनांक 06.11.2019 के द्वारा समिति के समस्त सदस्यों तथा सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराया गया है। बैठक के कार्यवृत्त के किसी भी प्रस्तर/अंश के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। तदोपरान्त् समिति द्वारा एस0एल0एस0सी0 की गत बैठक दिनांक 17.10.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

2. समिति की गत बैठक के कार्यवृत्त में लिए गए निर्णयों/निर्देशों पर परिपालन की स्थितिः–

समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 17.10.2019 के कार्यवृत्त में दिए गये निर्णयों एवं निर्देशों के अनुसार सामान्यतः समस्त बिन्दुओं पर परिपालन कराया गया है। समिति द्वारा प्रस्तरवार परिपालन की स्थिति का संज्ञान लिया गया एवं कार्यवृत्त के निम्नानुसार प्रस्तरों पर यथा–निर्देश कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये :–

कार्यवृत्त प्रस्तर	परिपालन आख्या	अग्रेतर निर्देश
2.i. गत बैठक दिनांक 21.05.2019 के कार्यवृत्त प्रस्तर 2–अ पर आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में 250 मी0 टन के भण्डारण क्षमता के निर्मित 10 गोदामों का 10 दिन के अन्दर डब्लू0डी0आर0ए0 से प्रमाणन कराकर कृषि विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अवगत कराया जाय।	सहकारिता विभाग के स्तर से परिपालन आख्या अपेक्षित है।	समिति द्वारा दिनांक 25.06.2020 तक परिपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
2.ii. विभिन्न विभागों के स्तर से बार–बार स्वीकृतियॉ जारी न कराने तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के साथ पृथक से मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक कराकर यथाशीघ्र निर्णय कराया जाए।	समिति के निर्देशों के क्रम में शीघ्र ही पृथक से बैठक आयोजित करा ली जाएगी।	समिति द्वारा प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में यथाशीघ्र बैठक आयोजित कर यथोचित निर्णय कराने के निर्देश दिये गये।

कार्यवृत्त प्रस्तर	परिपालन आख्या	अग्रेतर निर्देश
2.iii. वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक संचालित परियोजनाओं के स्वतन्त्र थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु ई–टेण्डर करा कर संस्थाओं का चयन यथा–शीघ्र कराया जाए।	समिति के निर्देशों के क्रम में ई–टेण्डरिग की कार्यवाही दिनांक 31.07.2020 तक करा ली जायेगी।	दिनांक 31.07.2020 तक ई–टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
2.iv- गत बैठक दिनांक 21.05.2019 के कार्यवृत्त प्रस्तर 5.8–i पर पी0सी0डी0एफ0 के स्तर पर उपलब्ध रू0 450.47 लाख की धनराशि वापस करने एवं ब्याज की धनराशि रू0 140.02 लाख के उपयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं वित्त विभाग, ए0प्र0 शासन के अनुमोदनानुसार वापसी करने के निर्देश दिये गये।	भारत सरकार एवं वित्त विभाग के निर्देशानुसार रू0 150.47 लाख की धनराशि वापस कर दी गयी है। नोएडा प्लान्ट की धनराशि रू0 300.00 लाख का व्यय कराते हुए यू0सी0 प्राप्त करा दिया गया है। समिति का संज्ञान अपेक्षित है।	समिति द्वारा परिपालन का संज्ञान लिया गया।
2.v- उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद की Strengthening and expansion of liquid nitrogen and frozen semen dozes procurement storage and supply chain Part-ii परियोजना लागत रू0 300.00 लाख के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये।	परिषद के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।	समिति द्वारा दिनांक 25.06.2020 तक परिपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
2.vi- सहकारिता विभाग की Construction of PACS godown under RKVY लागत रू0 3200.00 लाख के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये।	सहकारिता विभाग के स्तर से परिपालन अपेक्षित है।	समिति द्वारा दिनांक 25.06.2020 तक परिपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

3. वर्ष 2019–20 की प्रगति की स्थिति :–

i- गत वर्ष 2019–20 में कुल रू0 718.86 करोड़ की उपलब्धता रही। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रू0 646.51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत की गयी। निर्गत स्वीकृतियों के सापेक्ष कोषवाणी के अनुसार रू0 517.02 करोड़ का व्यय कराया गया, जो कि निर्गत स्वीकृतियों का 80 प्रतिशत है। दिनांक 01.04.2020 को अप्रयुक्त केन्द्रॉश के रूप में रू0 121.15 करोड़ की धनराशि अप्रयुक्त रही। भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.04.2020 के द्वारा वर्ष 2019–20 के अप्रयुक्त केन्द्रॉश रू0 112.38 करोड़ का रिवेलीडेशन वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु कर दिया गया है। समिति द्वारा वर्ष 2019–20 की प्रगति का संज्ञान लिया गया।

ii- उक्त क्रम में सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को निर्देश दिये गये कि वर्ष 2019–20 में व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष अन्तिम भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राथमिकता पर नोडल विभाग (कृषि विभाग) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

iii- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में गत वर्ष के पुनर्वैध केन्द्रॉश रू0 112.38 करोड़ में 40 प्रतिशत राज्यॉश रू0 74.92 करोड़ को सम्मिलित करते हुए रू0 187.30 करोड़ की धनराशि स्वीकृतियों हेतु उपलब्ध है। सम्बन्धित विभागों की मॉग के अनुसार अब तक रू0 91.59 करोड़ की स्वीकृतियों के प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं। वित्त विभाग की सहमति से शासन द्वारा रू0 7.37 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत

की जा चुकी हैं। शासनादेश दिनांक 18.05.2020 के द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत मितव्ययता बरतने के निर्देशों के क्रम में माहवार मॉग के अनुसार फेजिंग में राज्यॉश के साथ वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही हैं।

iv- उपरोक्त स्थिति पर अध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि राज्य सेक्टर की योजनाओं में कोविड–19 के कारण से मितव्ययता के दृष्टिगत माहवार फेजिंग के अनुसार स्वीकृतियॉ निर्गत करायी जाय। केन्द्र पोषित योजनाओं यथा आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत उपलब्ध पुनर्वैध धनराशि रू0 187.30 करोड़ तथा भारत सरकार स्तर से केन्द्रॉश की प्रथम किश्त प्राप्त होने पर समस्त वित्तीय स्वीकृतियॉ 60:40 (केन्द्रॉश : राज्यॉश) के फण्डिग पैटर्न पर प्राथमिकता पर निर्गत कर दी जाय।

v- समिति द्वारा यह निर्देश भी दिये गये कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा मात्राकृत शत्–प्रतिशत केन्द्रॉश प्राप्त करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाय। इस हेतु समस्त सम्बन्धित विभाग संचालित परियोजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र गति से कराते हुए पुनर्वैध धनराशि का शत्–प्रतिशत व्यय दिनांक 30.09.2020 तक कराना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक दशा में प्रथम किश्त की धनराशि का 60 प्रतिशत व्यय की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाय।

vi- एजेण्डा के पृष्ठ संख्या–30 पर दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न विभागों के स्तर से वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 तक के रू0 45.26 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र अपेक्षित हैं, जिस पर अध्यक्ष द्वारा रोष व्यक्त किया गया। विभागवार लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विवरण निम्नवत् है :–

(Rs. in lakh)

S. N.	Department/ Institute	Yearwise Required UC			Total U.C. required
		Upto 2014-15	2017-18	2018-19	
1	PDDU, Mathura		219.73	630.30	850.03
2	ANDUAT, Ayodhya	46.51	9.54	1148.73	1204.78
3	CSAUAT, Kanpur		1.50		1.50
4	SVBPUAT, Meerut		228.40	143.93	372.33
5	B.H.U.Varanasi			393.28	393.28
6	Beej Vikas Nigam			160.39	**160.39**
7	Mandi Parishad			560.46	**560.46**
8	MGKVKGorakhpur			464.18	**464.18**
9	IISR Lucknow			83.22	**83.22**
10	CSSRI Lucknow			50.00	**50.00**
11	CISH Lucknow			9.08	**9.08**
12	Agriculture			376.84	**376.84**
Total		**46.51**	**459.17**	**4020.41**	**4526.09**

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :–

अ– समस्त सम्बन्धित विभाग/संस्थाएं वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 30.06.2020 तक कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त धनराशि को वापस कर दिया जाये।

ब– वर्ष 2018–19 के लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 31.07.2020 तक अनिवार्य रूप से कृषि विभाग को उपलब्ध करा दिये जाय।

स– जिन विभागों/संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे, भविष्य में उनके परियोजना प्रस्तावों का वित्त पोषण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार :–

एजेण्डा–4 पर समिति के समक्ष कृषि, पशुपालन, उ0प्र0पशुधन विकास परिषद, रेशम एवं राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान–रहमानखेड़ा की एस0एल0एस0सी0 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं में कतिपय संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिये गये निर्णयों/निर्देशों का विवरण निम्नवत है :–

4.1- कृषि विभाग :–

i- **Organization of two days workshop on "Zero budget natural farming" परियोजना लागत रू0 15.00 लाख :–** एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 06.03.2020 में परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ में 02 दिवसीय कार्यशाला के स्थान पर कानपुर में दिनांक 22.01.2020 को आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के सम्बन्ध में एस0एल0एस0सी0 के कार्योत्तर अनुमोदन की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार के अभिमत ''परियोजनान्तर्गत 02 दिन के प्रस्तावित लक्ष्य एक दिन में पूर्ण हो जायेंगे का प्रमाणन करने के'' निर्देश के साथ सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ औपचारिक कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

ii- **Infrastructure development at Govt. Agriculture Farms परियोजना लागत रू0 2169.10 लाख :–** एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 06.03.2020 में धनराशि रू0 425.00 लाख के सापेक्ष अनुमोदित 50 हार्स पॉवर के 50 ट्रैक्टरों के स्थान पर 60 हार्स पॉवर के 75 ट्रैक्टरों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से करने हेतु एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा समस्त ट्रैक्टर की जियो टैगिंग कराने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ वर्ष 2020–21 के लिए यथा प्रस्ताव संशोधित भौतिक लक्ष्यों का अनुमोदन प्रदान किया गया। इस हेतु पृथक से कोई धनराशि देय नहीं होगी।

4.2- राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान रहमानखेड़ा :–

i. **Construction of boundary wall at State Institute for Management of Agriculture (SIMA), Rehmankhera परियोजना लागत रू0 499.95 लाख :–** एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 21.05.2019 में अनुमोदित कार्य योजना लागत रू0 499.95 लाख के सापेक्ष स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य मदवार अनुमोदित धनराशि एवं लक्ष्यों में प्रस्तावित आतंरिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 06.03.2020 में संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा यथा प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

4.3- पशुपालन विभाग :–

i- **Animal Health Sub-scheme कार्ययोजना लागत रू0 801.60 लाख :–** एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 06.03.2020 में एनीमल हेल्थ उपयोजना के कार्य घटक Establishment of Glanders surveillance unit हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 135.00 लाख के अन्तर्गत ग्लैण्डर सर्विलांस की

03 इकाईयों की स्थापना गोरखपुर, लखनऊ एवं आगरा के स्थान पर पशु चिकित्सा कालेज/विश्वविद्यालयों यथा पी0डी0डी0यू0–मथुरा, अयोध्या एवं मेरठ में कराये जाने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार द्वारा ''डी0ए0एच0डी0, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है'' के निर्देश दिये गये हैं। समिति द्वारा तद्नुसार डी0ए0एच0डी0, नई दिल्ली का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के निर्देश के साथ स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

ii- **Strengthening of goat and Sheep breeding farm of U.P. कार्ययोजना लागत रू0 435.35 लाख** :– एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 06.03.2020 में पशुपालन विभाग के बकरी एवं भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, बहोदरा, जालौन के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व अनुमोदित कार्ययोजना लागत रु0 435.35 लाख के सापेक्ष स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यघटकों में आंतरिक परिवर्तन के प्रस्ताव लागत रू0 435.28 लाख के सम्बन्ध में एस0एल0एस0सी0 का औपचारिक कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार द्वारा संशोधन के प्रस्ताव को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा संशोधित कार्ययोजना लागत रू0 435.28 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

4.4- उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद लखनऊ :–

i- **Animal genetic disorder diagnostic and reproductive immunology laboratory कार्ययोजना लागत रू0 160.50 लाख** :– एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 06.03.2020 में पूर्व अनुमोदित कार्ययोजना लागत रू0 160.50 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 7.14 लाख को सम्मिलित करते हुए संशोधित लागत रू0 167.64 लाख के अनुमोदन की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा जी0एस0टी0 हेतु रू0 7.14 लाख के प्रस्ताव को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि सहित संशोधित कार्ययोजना लागत रू0 167.64 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

ii. **Strengthening and modernization of deep frozen semen station, Manjhra (Kheri) - Part-II कार्ययोजना लागत रू0 539.08 लाख** :– परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण सम्बन्धी कार्यो हेतु रू0 252.28 लाख के स्थान पर स्थलीय आवश्यकताओं के अनुसार यू0पी0पी0डब्लू0डी0 की दरों पर रू0 325.13 लाख के आगणन गठित हुए हैं। तद्नुसार अतिरिक्त धनराशि रू0 72.85 लाख की और आवश्यकता है। तद्क्रम में संशोधित लागत रू0 611.93 लाख के अनुमोदन की संस्तुति एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 06.03.2020 में की गई है। भारत सरकार द्वारा कार्य पूर्ति–प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ संशोधित परियोजना लागत रू0 611.93 लाख को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही करने तथा संशोधित कार्ययोजना लागत रू0 611.93 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

4.5- रेशम विभाग :–

i. **Development of infrastructure for qualitative silk production कार्ययोजना लागत रू0 1489.99 लाख** :– एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 06.03.2020 में परियोजनान्तर्गत 58 सोलर इर्रीगेशन पम्पों हेतु रू0 3.53 लाख की दर से अनुमोदित धनराशि रू0 204.74 लाख की सीमा अन्तर्गत 58 पम्पों के स्थान पर 62 सोलर इर्रीगेशन पम्पों की स्थापना के सम्बन्ध में एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ संस्तुति की गई है। भारत सरकार द्वारा समस्त सोलर पम्पों की

जियो टैगिंग कराने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार जियो–टैगिंग कराने के निर्देश के साथ परियोजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सीमान्तर्गत 58 पम्पों के स्थान पर 62 सोलर इर्रीगेशन पम्पों की स्थापना के सम्बन्ध में औपचारिक कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. वर्ष 2020–21 हेतु नवीन परियोजना प्रस्तावों पर विचार :–

समिति के समक्ष एजेण्डा–V.अ पर पृष्ठ संख्या–39 से 119 तक पर वर्ष 2020–21 हेतु आर0के0वी0वाई0–सामान्य के अन्तर्गत कुल रू0 706.86 करोड़ की विभाग/संस्थावार परियोजनायें समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कृषि एवं सम्वर्गीय विभागों/संस्थाओं की निम्नानुसार रू0 700.74 करोड़ की परियोजनाएं वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदित की गई :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S.N.	Project name	Stream	Approved cost for 2020-21
I	**Agriculture**		
1	Multipurpose seed store and technology dissemination center (Kisan Kalyan Kendra)	P2	8014.00
2	Integrated Cereal Development Programme- Rice	F	1600.00
3	Integrated Cereal Development Programme- Wheat	F	5750.00
4	The Million Farmers School Kisan Pathshala	F	1330.20
5	Adaptive trials/ demonstrations of Regional Agricultural Testing and demonstration Station to Agriculture research	F	167.25
6	Establishment of ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emmission Spectrophotometer) in soil testing laboratories	P2	360.00
7	Strengthening of bio-control labs	P1	104.61
8	Development of Government Agriculture Farm, Ramnagar, District Barabanki as model farm	P1	314.07
9	Farm pond for rain water conservation in Bundelkhand region of U.P.	P1	1781.00
10	Construction of boundary wall at Agriculture workshop of Baitalpur, District Deoria	P1	54.95
11	Impact assessment of Centrally sponsored scheme viz. NFSM, ICDP, BGREI and NMOOP in enhancement of productivity of crops	Admi	60.70
12	Construction of administrative building at Rajkiya Krishi Vidhyalaya, Gorakhpur	P1	990.94
13	Construction of hostel in Rajkiya Krishi Vidhyalaya, Gorakhpur	P1	999.81
14	Establishment of vermi-compost unit for increasing organic matter in the soil	V	3878.12
15	Bringing Green Revolution in Eastern India (BGREI)	S	7063.00
16	Organic Cluster under Namame Gange Scheme (Rs. 6803.40 lakh for 3 yr)	S	2245.12
	Sub-total		**34713.77**
II	**SIMA, Rehmankhera**		
17	Technical training for agriculture mechanization	F	105.06
18	Waterline and RCC road at State Institute for Management of Agriculture, Rehmankhera	P1	212.78
19	Development of Government Agriculture Farm, Rehmankhera and Sahlamau under SIMA, Rehmankhera as model farm	P1	402.58
	Sub-total		**720.42**

S.N.	Project name	Stream	Approved cost for 2020-21
III	**UP Beej Vikas Nigam**		
20	Construction of Godown, CC road and other construction and renovation works at Seed Processing Plant, Etawah	P2	**310.48**
IV	**Sugarcane**		
21	High quality sugarcane seed production and distribution programme	F	742.14
22	Enhancing Sugarcane production in U.P.	F	942.62
	Sub-total		**1684.76**
V	**Horticulture**		
23	Horticulture development for 30 Non-NHM districts under RKVY	F	3867.69
24	Strengthening of Government nurseries and farms under RKVY	P1	5042.24
25	Betelvine development in U.P.	P1	250.01
26	Establishment of Hi-tech nursery seedling production units (Mini Center of Excellence)	P1	520.00
27	Strengthening of Hi-tech nursery seedling production units (Mini Center of Excellence), Seehmai, Kariraat, Ambedkarnagar	P2	94.75
	Sub-total		**9774.69**
VI	**Sericulture**		
28	Renovation of Government Sericulture farm at Barwa, Semra, District Deoria	P1	54.13
29	Development of infrastructure facilities at Sericulture Govt. farm to increase silk production	P1	872.17
	Sub-total		**926.30**
VII	**Animal Husbandry**		
30	PPR vaccination in small ruminants	F	285.79
31	HS vaccination in RKVY	F	2185.84
32	Glanders/Farcy Surveillance Scheme in public welfare	F	183.70
33	Additional Fodder Development Programme (AFDP)	S	0.00
	Sub-total		**2655.33**
VIII	**Fisheries**		
34	Promotion of aquaculture by increasing coverage through establishment of private ponds	P1	1785.00
35	New pond construction with shrimp culture in Agra and Aligarh division	P1	126.00
	Sub-total		**1911.00**
IX	**Cooperative**		
36	Construction of godown at PACs	P2	**2318.50**
X	**DASP**		
37	Crop Diversification Program in Original Green Revolution States (CDP-OGRS)	S	4253.11
38	Crop Diversification Program for replacing Tobacco farming (CDP-TR)	S	103.49
	Sub-total		**4356.60**
XI	**CSAUAT, Kanpur**		
39	Participatory vegetable quality seed production to enhance vegetable production in U.P.	F	48.00
40	Strengthening of 07 Krishi Vigyan Kendra of CSAUAT, Kanpur	P1	1394.84
	Sub-total		**1442.84**
XII	**ANDUAT, Ayodhya**		
41	Establishment of Agriculture Technology park	P1	472.00

S.N.	Project name	Stream	Approved cost for 2020-21
42	Strengthening of parasitological laboratory with advance diagnostic facilities for detection of parasitic diseases	P2	92.77
43	Collection, identification and distribution of relatively high iron and zinc containing genotypes among farmers for fulfillment of nutritional requirement of rice eating poor consumers	F	23.00
44	Demonstration of drip irrigation/ fertigation under diversified cropping system	P1	36.20
45	Establishment of centre for training, research and production of biofertilizer and bio-pesticide formulation for the benefit of farmers in Eastern U.P.	P1	287.95
46	Renovation and establishment of New Polycarbonate Green House and Net House for Nursery production and cultivation of horticultural crops	P1	72.25
47	Mechanization of fodder farm based on agriculture implements and establishment of silage making machine for proper utilization of farm wastes	P1	111.50
48	Ergonomic laboratory for ergonomic risk analysis and reducing health hazard of farm women	F	40.35
49	Strengthening of 07 KVKs of ANDUAT, Ayodhya	P1	2099.74
	Sub-total		**3235.76**
XIII	**SVPUAT, Meerut**		
50	Establishment of referral analytical laboratory for microbial toxins and environment pollutants/ toxicants	P2	393.00
51	Strengthening of 07 Krishi Vigyan Kendra of SVBPUAT, Meerut	P1	1358.09
	Sub-total		**1751.09**
XIV	**BUAT, Banda**		
52	Development of farm for seed production and research	P1	748.00
53	Establishment of Central Laboratory facilities at BUAT, Banda	P1	925.00
54	Developing climate resilient onion based production model for enhancing productivity and alleviating poverty of small and marginal farmers of Bundelkhand region	F	52.34
55	Socio-economic upliftment of tribal population of Bundelkhand region through agricultural interventions	F	319.37
56	Popularization and adoption of modern irrigation techniques for economical empowerment of farming community of Bundelkhand region	P1	69.00
	Sub-total		**2113.71**
XV	**SHUATS, Prayagraj**		
57	Doubling farmers income through protected cultivation of high value vegetables through farmers participatory approach in Prayagraj	P1	64.04
58	Farm strengthening for Pulse Breeder Seeds production at Lohra farm, SHUATS, Prayagraj	P1	139.84
59	Production, characterization and promotion of Dragon fruit for doubling farmers income under water scarse land of Prayagraj	F	107.20
60	Skill development and supply of quality planting materials of medicinal plants to nearby farmers of Prayagraj	F	134.30
61	Establishment of poly housed hydroponic facility for soilless farming system and skill development of farmers in Prayagraj	P1	185.50
	Sub-total		**630.88**

S.N.	Project name	Stream	Approved cost for 2020-21
XVI	**PDDU, Mathura**		
62	Establishment of A2 Genotype Testing laboratory for Cattle of Uttar Pradesh	P1	99.95
63	Capacity Building & Entrepreneurship development of farming community through establishment of community radio station	P1	98.57
	Sub-total		**198.52**
XVII	**CISH, Lucknow**		
64	Development of vertical farming designs for urban horticulture to ensure the nutritional and economic security	F	**45.00**
XVIII	**IISR, Lucknow**		
65	Construction of boundary wall at newly opened KVK-II, Lakhimpur Kheri	P2	**238.89**
Pre-harvest infrastructure		P1	**21672.76**
Post-harvest infrastructure		P2	**11822.39**
Value addition linked programme		V	**3878.12**
Flexi fund		F	**17929.85**
Sub-total			**55303.12**
Administrative (2%) included project at S.N. 11			**1106.06**
Normal RKVY			**56409.18**
Sub-scheme			**13664.72**
Grand total			**70073.90**

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2020–21 के लिए रू0 70073.90 लाख की परियोजनाऐं अनुमोदित की गई तथा निम्नवत् निर्देश दिये गये :–

5.1 कृषि विभाग

i. समिति द्वारा Model multipurpose seed store and technology dissemination center (Kisan Kalyan Kendra) परियोजना लागत रु0 8014.00 लाख का अनुमोदन प्रदान करते हुए पुराने राजकीय बीज भण्डारों के स्थान पर ही किसान कल्याण केन्द्रों का निर्माण कराने के निर्देश दिये गये। समिति द्वारा यह निर्देश भी दिये गये कि किसान कल्याण केन्द्र के भवन में विकास खण्ड का कोई भी कार्यालय स्थानान्तरित न किया जाय। यदि किसी विकास खण्ड में नवीन स्थल पर किसान कल्याण केन्द्र का निर्माण कराया जाना आवश्यक हो, तो सहकारिता विभाग के साथ समन्वय कर भूमि की उपलब्धता के आधार पर समेकित भण्डारागारों का निर्माण कराने पर बल दिया जाय।

ii. समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Adaptive trials/ demonstrations of Regional Agricultural Testing and demonstration Station to Agriculture research परियोजना लागत रु0 167.25 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

iii. समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Establishment of ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emmission

Spectrophotometer) in soil testing laboratories परियोजना लागत रु0 360.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

iv. समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Strengthening of bio-control labs परियोजना लागत रु0 104.61 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

v. समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Farm pond for rain water conservation in Bundelkhand region of U.P. परियोजना लागत रु0 1781.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

vi. समिति द्वारा Impact assessment of Centrally sponsored scheme viz. NFSM, ICDP, BGREI and NMOOP in enhancement of productivity of crops परियोजना लागत रु0 60.70 लाख का वित्त पोषण आर0के0वी0वाई0 के प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत करने के निर्देश के साथ वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

vii. समिति द्वारा बी0जी0आर0ई0आई0 उपयोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत/अनुमोदन प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Bringing Green Revolution in Eastern India (BGREI) कार्ययोजना लागत रु0 7063.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया। साथ ही उपयोजना के अन्तर्गत जनपद अमेठी एवं देवरिया को सम्मिलित करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में क्रियान्वयन कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

viii. समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Organic Cluster under Namame Gange Scheme परियोजना लागत रू0 6803.40 लाख (03 वर्षो के लिए) एवं वर्ष 2020–21 के लिए लागत रु0 2245.12 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया। उपयोजना का क्रियान्वयन प्रदेश में गंगा के किनारे के 10 जनपदों में कराने एवं वित्त पोषण भारत सरकार के अनुमोदन एवं पृथक केन्द्रॉश प्राप्ति के अनुसार सुनिश्चित कराया जाए।

ix. समस्त प्रस्तावित निर्माण कार्य सी0पी0डब्लू0डी0/यू0पी0पी0डब्लू0डी0 की दरों, जो भी कम हो पर कराये जाय।

5.2 सीमा रहमानखेड़ा :–

i- समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Technical training for agriculture mechanization परियोजना लागत रु0 105.06 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

ii- समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Waterline and RCC road at State Institute for Management of Agriculture, Rehmankhera परियोजना लागत रु0 212.78 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

iii- समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Development of Government Agriculture Farm, Rehmankhera and Sahlamau under SIMA, Rehmankhera as model farm परियोजना लागत रु0 402.58 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

iv- समस्त प्रस्तावित निर्माण कार्य सी0पी0डब्लू0डी0/यू0पी0पी0डब्लू0डी0 की दरों, जो भी कम हो पर कराये जाय।

5.3 उ0प्र0 बीज विकास निगम :–

i- समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के प्रतिबंध के साथ Construction of Godown, CC road and other construction and renovation works at Seed Processing Plant, Etawah परियोजना लागत रु0 310.48 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया। प्रस्तावित निर्माण कार्य सी0पी0डब्लू0डी0/यू0पी0पी0डब्लू0डी0 की दरों, जो भी कम हो पर कराये जाय।

5.4 गन्ना विभाग :–

i- समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के प्रतिबंध के साथ High quality sugarcane seed production and distribution programme परियोजना लागत रु0 742.14 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

ii- समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के प्रतिबंध के साथ Enhancing Sugarcane production in U.P. परियोजना लागत रु0 942.62 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

5.5 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग :–

i- समिति द्वारा Horticulture development for 30 Non-NHM districts under RKVY परियोजना लागत रु0 3867.69 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ प्रदान किया गया। समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि आगामी वर्ष हेतु जो भी प्लान्टिंग मैटेरियल यथा उन्नत बीज एवं पौध आदि प्रदेश के बाहर से क्रय किये जाते हैं, उनका प्रदेश स्तर पर अधिक से अधिक उत्पादन कराकर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय।

ii- समिति द्वारा परियोजना के आवासीय भवन निर्माण मद में प्रस्तावित धनराशि रू0 89.67 लाख को अनुमन्य न करते हुए Strengthening of Government nurseries and farms under RKVY परियोजना लागत रु0 5042.24 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया। साथ ही भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये। औद्यानिक पौधशालाओं के सुदृढ़ीकरण के पश्चात समस्त राजकीय पौधशालाओं का एन0एच0बी0 से मानकीकरण सुनिश्चित कराया जाय। समस्त प्रस्तावित निर्माण कार्य सी0पी0डब्लू0डी0/यू0पी0पी0डब्लू0डी0 की दरों, जो भी कम हो पर कराये जाय।

5.6 रेशम विभाग :–

i- समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ Renovation of Government Sericulture farm at Barwa, Semra, District Deoria परियोजना लागत रु0 54.13 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

ii- समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ Development of infrastructure facilities at Sericulture Govt. farm to increase silk

production परियोजना लागत रु0 872.17 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया। साथ ही रेशम उत्पादन की वर्ष में 04 फसल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये।

5.7 पशुपालन विभाग :–

i- समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ PPR vaccination in small ruminants परियोजना लागत रु0 285.79 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

ii- समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ HS vaccination in RKVY परियोजना लागत रु0 2185.84 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

iii- समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ Glanders/Farcy Surveillance Scheme in public welfare परियोजना लागत रु0 183.70 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

iv- भारत सरकार द्वारा Additional Fodder Development Programme (AFDP) उपयोजना को वर्ष 2020–21 में बन्द कर दिया गया है। इस कारण से समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

5.8 मत्स्य विभाग :–

i- समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Promotion of aquaculture by increasing coverage through establishment of private ponds परियोजना लागत रु0 1785.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया। साथ ही विगत वर्षो में मत्स्य पालकों के यहॉ विकसित कराये गये तालाबों का अध्ययन कराने के निर्देश दिये गये। यह कार्यवाही मत्स्य विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

ii- समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ New pond construction with shrimp culture in Agra and Aligarh division परियोजना लागत रु0 126.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

5.9 सहकारिता विभाग

i- समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Construction of godown at PACs परियोजना लागत रू0 2318.50 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया। साथ ही निर्मित गोदामों का डब्लू0डी0आर0ए0 से मानकीकरण कराते हुए कृषकों के कृषि उत्पादों का भण्डारण सुनिश्चित कराया जाय।

5.10 यू0पी0 डास्प लखनऊ :–

i. समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत/अनुमोदन प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Crop Diversification Program in Original Green Revolution States (CDP-OGRS) कार्ययोजना लागत रु0 4253.11 लाख (वर्ष 2020–21 के एलोकेशन रू0 4217.00 लाख एवं अप्रयुक्त धनराशि रू0 36.11 लाख) का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया। समिति

द्वारा यह निर्देश दिये गये कि रू0 1397.88 लाख के कार्य यू0पी0डास्प द्वारा एवं शेष रू0 2855.23 लाख के कार्य कृषि विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाएं।

ii. समिति द्वारा भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत/अनुमोदन प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ Crop Diversification Program for replacing Tobacco farming (CDP-TR) परियोजना लागत रु0 103.49 लाख (वर्ष 2020–21 के एलोकेशन रू0 95.50 लाख एवं अप्रयुक्त धनराशि रू0 7.99 लाख) का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

5.11 कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर :–

i- समिति द्वारा विश्वविद्यालय की Participatory vegetable quality seed production to enhance vegetable production in U.P. परियोजना लागत रु0 48.00 लाख एवं Strengthening of 07 Krishi Vigyan Kendra of CSAUAT, Kanpur परियोजना लागत रू0 1394.84 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया।

5.12 कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या :–

i- समिति द्वारा विश्वविद्यालय की 09 परियोजनाएं लागत रू0 3235.76 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया।

5.13 कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ :–

i- समिति द्वारा विश्वविद्यालय की Establishment of referral analytical laboratory for microbial toxins and environment pollutants/ toxicants परियोजना लागत रु0 393.00.00 लाख एवं Strengthening of 07 Krishi Vigyan Kendra of SVBPUAT, Meerut परियोजना लागत रू0 1358.09 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया।

5.14 कुलपति, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा :–

i- समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने एवं प्रस्तावित निर्माण कार्य सी0पी0डब्लू0डी0/यू0पी0पी0डब्लू0डी0 में जो भी कम हो की दरों पर कराने के प्रतिबंध के साथ Establishment of Central Laboratory facilities at BUAT, Banda परियोजना लागत रु0 925.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान किया गया।

ii- उक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की 04 परियोजनाएं लागत रू0 1188.71 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया।

5.15 सैम हिग्गिनबाटम यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी एण्ड साइन्सेज, प्रयागराज :–

i- समिति द्वारा विश्वविद्यालय की 05 परियोजनाएं लागत रु0 630.88 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया।

5.16 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चि0 विज्ञान वि0वि0 एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा

i- समिति द्वारा विश्वविद्यालय की Establishment of A2 Genotype Testing laboratory for Cattle of Uttar Pradesh परियोजना लागत रू0 99.95 लाख एवं Capacity Building & Entrepreneurship development of farming community through establishment of community radio station परियोजना लागत रू0 98.57 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया।

5.17 सी.आई.एस.एच. लखनऊ :–

i- समिति द्वारा संस्थान की Development of vertical farming designs for urban horticulture to ensure the nutritional and economic security परियोजना लागत रु0 45.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया।

5.18 आई.आई.एस.आर. लखनऊ :–

i- समिति द्वारा संस्थान की Construction of boundary wall at newly opened KVK-II, Lakhimpur Kheri for smooth functioning of various activities including on-station demonstrations etc. for benefit of farmers of district under protected conditions परियोजना लागत रु0 238.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया।

5.19 प्रशासनिक मद :–आर0के0वी0वाई0 सामान्य के अन्तर्गत प्रशासनिक मद में 02 प्रतिशत धनराशि अनुमन्य है। समिति द्वारा आर0के0वी0वाई–सामान्य के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के सापेक्ष प्रशासनिक मद में रू0 1106.06 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

5.ब–गत वर्षो की एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित संतृप्त परियोजनाओं हेतु वर्ष 2020–21 के लिए धनराशि का मात्राकरण :– समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में आर0के0वी0वाई0–सामान्य के अन्तर्गत गत वर्षो की 62 चालू (Ongoing) परियोजनाओं के संतृप्तीकरण हेतु रू0 23194.40 लाख की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं हेतु गत वर्ष की पुनर्वैध धनराशि रू0 14036.21 लाख की धनराशि उपलब्ध है। शेष धनराशि रू0 9158.19 लाख का वर्ष 2020–21 के लिए मात्राकरण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक है। समिति द्वारा यथा प्रस्ताव एजेण्डा के पृष्ठ संख्या–120 से 125 तक के अनुसार वर्ष 2019–20 की पुनर्वैध धनराशि रू0 14036.21 लाख का व्यय आवश्यकतानुसार करने के निर्देश के साथ गत वर्ष की चालू परियोजनाओं हेतु कुल धनराशि रू0 23194.40 लाख के मात्राकरण का अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त आर0के0वी0वाई0 की संचालित उपयोजनाओं हेतु निम्नवत मात्राकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. N.	Name of ongoing project	SLSC approval		Total Exp.	Allocation for 2020-21	Remarks
		Date	Amount			
I	**Agriculture**					
1	Organic Cluster under Swachhata Action Plan	17.10.19	1683.00	0.00	1683.00	Amt. is required from GoI

S. N.	Name of ongoing project	SLSC approval		Total Exp.	Allocation for 2020-21	Remarks
		Date	Amount			
2	BGREI (2018-19)	21.05.19	6734.67	6001.56	628.45	Amount available as unspent amount
3	BGREI (2019-20)	21.05.19	8100.00	4068.52	4031.41	
	Sub-total		**16517.67**	**10070.08**	**6342.86**	
II	DASP					Amount available as unspent amount
4	CDP-OGRS (2019-20)	21.05.19	534.18	515.92	19.08	
5	CDP-TR (2019-20)	21.05.19	63.68	58.94	4.40	
	Sub-total		**597.86**	**574.86**	**23.48**	
III	**Animal Husbandry**					
6	Animal health (2018-19)	26.09.18	878.31	410.18	28.15	
7	AFDP (2019-20)	21.05.19	459.00	227.96	230.37	
8	Animal health (2019-20)	17.10.19	801.60	0.00	408.33	
	Sub-total		**2138.91**	**638.14**	**666.85**	
Total (Sub-scheme)			**19254.44**	**11283.08**	**7033.19**	

उपरोक्त के अनुसार उपयोजनाओं के संतृप्तीकरण हेतु रू0 7033.19 लाख की आवश्यकता है। समिति द्वारा निम्नवत् निर्देश/अनुमोदन प्रदान किया गया :–

- उपयोजनाओं हेतु वर्ष 2019–20 की पुनर्वैध धनराशि रू0 4694.60 लाख के व्यय की अनुमति प्रदान की गयी।
- तालिका के क्रमांक–I.1 पर प्रस्तुत Organic Cluster under Swachhata Action Plan उपयोजना हेतु रू0 1683.00 लाख का मात्राकरण का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि भारत सरकार स्तर से आवश्यक केन्द्रॉश रू0 1009.80 लाख अवमुक्त कराकर ही क्रियान्वयन कराया जाय।
- तालिका के क्रमांक–I.2 पर प्रस्तुत BGREI (2018-19) उपयोजना की अप्रयुक्त धनराशि रू0 628.45 लाख एवं क्रमांक–III.6 पर प्रस्तुत Animal health (2018-19) उपयोजना अप्रयुक्त धनराशि रू0 28.15 लाख का व्यय भारत सरकार से पुनर्वैध कराकर ही सुनिश्चित कराया जाय।
- तालिका के क्रमांक–III.8 पर प्रस्तुत Animal health (2019-20) उपयोजना हेतु रू0 801.60 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष गत वर्ष की पुनर्वैध धनराशि रू0 408.33 लाख का मात्राकरण वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु किया गया। उपयोजना के संतृप्तीकरण हेतु आवश्यक धनराशि रू0 393.27 लाख के सापेक्ष आवश्यक केन्द्रॉश रू0 235.96 लाख भारत सरकार से प्राप्त करते हुए व्यय कराने के निर्देश दिये गये।

6. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से :–

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के अन्तर्गत समिति के समक्ष कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, कानपुर, बॉदा, मेरठ, पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा, आई.आई.टी. कानपुर आदि के परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा विभागवार/परियोजनावार दिये गये निर्णय/निर्देशों का विवरण निम्नवत् हैः–

6.अ–कृषि विभाग :–

i- **Approval of State Extension work plan for 2020-21 under centrally sponsored scheme 'Support To State Extension Programmes For Extension Reforms' of U.P. कार्य योजना लागत रू0–25422.50 लाख** :–भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम Green

Revolution-Krishonnati Yojna के अर्न्तगत् संचालित सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की वर्ष 2020–21 के लिए राज्य प्रसार कार्य योजना (State Extension Work Plan) का प्रस्तुतीकरण किया गया। योजनान्तर्गत मदवार विवरण देते हुए कुल धनराशि रू0– 25422.50 लाख की कार्य योजना निम्नवत् प्रस्तुत की गयी :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S.N.	Activities	Amounts
A	State level Activities (A.1 to A.8)	1633.77
B	District level Activities	
	(i) Farmers Oriented Activities (B.1 to B.7)	4422.86
	(ii) Farm Information Dissemination(B.8 to B.10)	487.40
	(iii) Agriculturual Technology, Refinement, Validation & Adoption (B.11 to B.13)	338.40
	(iv) Recurring Sepecialist & Functionary Support / Administrative Cost for ATMA establishment (B.14)	11475.63
	(v) Farm School (B.15)	727.12
	Total (B)	**17451.41**
C	Innovative Activities - State level (C.1 to C.2)	31.48
D	Innovative Activities - District level (D.1 to D.3)	5117.24
E	Other Innovative Activities (E.1 to E.2)	437.00
F	ITD Components	751.60
	Grand Total	**25422.50**

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार के पत्र संख्या– 9–2/2020–ए0ई0 दिनांक 10 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रदेश हेतु निर्धारित अनन्तिम एलोकेशन रू0–20851.81 लाख में 25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2020–21 की कार्य योजना प्रस्तुत करने के प्राप्त निर्देशों के क्रम में ही धनराशि रू0–25422.50 लाख की कार्य योजना प्रस्तुत की गयी है।

समिति द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 की प्रगति के परीक्षणोपरान्त वर्ष 2020–21 हेतु धनराशि रू0–25422.50 लाख की राज्य प्रसार कार्य योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।

ii- **Bringing Green Revolution in Eastern India (BGREI)** कार्ययोजना लागत रू0 4031.48 लाखः– बी0जी0आर0ई0आई0 उपयोजना हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2020 के द्वारा गत वर्ष की पुनर्वैध धनराशि रू0 4031.41 लाख के सापेक्ष अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार क्रियान्वयन कराने के निर्देश के साथ वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

iii- **Organic Cluster under Namami Gange Scheme** कार्ययोजना लागत रू0 11444.40 लाख (03 वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2020–21 के लिए रू0 3776.65 लाख :– समिति द्वारा वाराणसी जनपद के 08 जनपदों में 22440 हे0 क्षेत्र में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत आर्गेनिक कलस्टर गठन हेतु कार्ययोजना लागत रू0 11444.40 लाख (03 वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2020–21 के लिए रू0 3776.65 लाख का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के अनुमोदन एवं अवमुक्त केन्द्रॉश के अनुसार सुनिश्चित कराया जाय।

6.ब– कोविड–19 के दृष्टिगत परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन :–

समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.04.2020 के द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत आर0के0वी0वाई0–सामान्य के अन्तर्गत लघु अवधि के कृषक उपयोगी कार्यक्रम सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये हैं। तद्क्रम में शासनादेश संख्या–412/12-3-2020-100(04)/2019 दिनांक 13.05.2020 के द्वारा निम्नानुसार रू0 2379.08 लाख की परियोजनाओं के सम्बन्ध में मुख्य सचिव/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) का पत्रावली पर अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया है कि इनका औपचारिक कार्योत्तर अनुमोदन आगामी एस0एल0एस0सी0 की बैठक में प्राप्त कर लिया जायेगा :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S.N.	Department	Project name	Approved cost	GOI Comment
1	Agriculture	Distribution of Dhaincha/Sanai seed for green manuring	270.00	Supported as per SMSP norms
2		Krishi samvardhan yojna	524.08	Supported as per RKVY norms
3		Promotion of raised bed sowing method in pulses and oilseeds in Kharif-2020	850.00	Comment of ICAR have to be obtained
4	Horticulture	Distribution of vegetable minikits in 30 Non NHM districts of U.P.	735.00	Supported as per RKVY norms
Total			**2379.08**	

उपरोक्त तालिका के अनुसार समिति द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के सम्बन्ध में औपचारिक कार्योत्तर अनुमोदन निम्नवत् निर्देशों के साथ प्रदान किया गया :–

अ– समिति द्वारा क्रमांक–01 पर अंकित कृषि विभाग की Distribution of Dhaincha/Sanai seed for green manuring परियोजना लागत रू0 270.00 लाख यथा प्रस्ताव भारत सरकार के अभिमत के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

ब– समिति द्वारा क्रमांक–02 पर अंकित कृषि विभाग की Krishi samvardhan yojna परियोजना लागत रू0 524.08 लाख यथा प्रस्ताव भारत सरकार के अभिमत के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

स– क्रमांक–03 पर अंकित कृषि विभाग की Promotion of raised bed sowing method in pulses and oilseeds in Kharif-2020 परियोजना लागत रू0 850.00 लाख के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आई0सी0ए0आर0 का अभिमत प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। समिति को अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना शोधपरक नहीं है, अतः आई0सी0ए0आर0 का अभिमत आवश्यक नहीं है। समिति द्वारा आर0के0वी0वाई0–डिवीजन से भारत सरकार का अभिमत प्राप्त करने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0 850.00 लाख के क्रियान्वयन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

द– क्रमांक–04 पर अंकित उद्यान विभाग की Distribution of vegetable minikits in 30 Non NHM districts of U.P. परियोजना लागत रू0 735.00 लाख के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आर0के0वी0वाई0 के नार्म्स पर सपोर्ट किया गया है। परियोजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में रू0 15.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है, जो आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। साथ

ही शासनादेश दिनांक 13.05.2020 के द्वारा सब्जी बीज के मिनीकिटों का वितरण 90 प्रतिशत अनुदान पर किया जायेगा। तद्क्रम में समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 26.09.2018 में उद्यान विभाग की परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के अभिमत के अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत कृषक अंश पर सब्जी बीज के मिनीकिटों के वितरण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। तद्नुसार आर0के0वी0वाई0 के नार्म्स पर 50 प्रतिशत अनुदान ही देय है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सब्जी बीज मिनीकिटों के वितरण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान धनराशि रू0 400.00 लाख आर0के0वी0वाई0 से वित्त पोषण के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

6.स– एग्री बिजनेस इन्क्यूवेशन सेन्टर की स्थापना :–

समिति के समक्ष कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बॉदा, प्रयागराज एवं आई0आई0टी0–कानपुर के एग्री बिजनेस इन्क्यूवेशन सेन्टर की स्थापना के निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. N.	Name of University/ Institute	Name of project	Project duration	Approved cost	
				Total	For 2020-21
1	CSAUAT, Kanpur	Establishment of Agri-business incubation center	03 years	1500.00	975.00
2	ANDUAT, Ayodhya	Establishment of Agri-business incubation center	01 year	750.00	750.00
3	BUAT, Banda	Agro business incubation center for agro-entrepreneurs	03 years	510.00	330.00
4	IIT, Kanpur Through Agriculture Department	Boosting sustainable agriculture by developing hyper-local supply demand chain	03 years	704.00	311.75
5	SHUATS, Prayagraj	Establishment of Incubation center on campus of SHUATS	01 year	624.87	624.87
Total				**4088.87**	**2991.62**

उपरोक्त कृषि उद्यमिता विकास हेतु इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना के परियोजना प्रस्तावों पर विचार–विमर्श किया गया। प्रमुख सचिव, कृषि उ0प्र0 शासन द्वारा इंगित किया गया कि विश्वविद्यालय के स्तर पर अनुभवी सलाहकार (Mentorial incubator) की उपलब्धता अपरिहार्य है, जिसके अभाव में इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना तथा संचालन सम्भव नहीं होगा। आर0के0वी0वाई0 की अभिनवीकरण तथा कृषि उद्यमिता विकास स्ट्रीम के तहत वार्षिक परिव्यय की 10 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार के स्तर पर मात्राकृत है। इस स्ट्रीम के अन्तर्गत क्षमता विकास एवं आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से अभिनवीकरण एवं कृषि उद्यमिता विकास गतिविधियों हेतु व्यय की जानी है। प्रदेश गत वर्षो में इस स्ट्रीम के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है। प्रदेश स्तर से प्रथम बार कृषि उद्यमिता विकास हेतु इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। एस0एल0पी0एस0सी की बैठक दिनांक 06.03.2020 में कृषि उद्यमिता विकास हेतु इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना के प्रस्तावों को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की सैद्धान्तिक संस्तुति प्रदान की गई है। परियोजना प्रस्तावों के सम्बन्ध में भारत सरकार के अभिमत अप्राप्त हैं। अभिमत प्राप्त होते ही उक्त के अनुसार कार्यवाही हो।

समिति द्वारा इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना के 05 परियोजना प्रस्तावों की कुल लागत रू0 4088.87 लाख एवं वर्ष 2020–21 के लिए रू0 2991.62 लाख का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि भारत सरकार स्तर से कार्ययोजनाओं के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। साथ ही परियोजनाओं हेतु आवश्यक धनराशि अभिनवीकरण एवं कृषि उद्यमिता विकास स्ट्रीम के तहत पृथक से प्राप्त कर वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही इन केन्द्र सेन्टर को स्थापित करने से पूर्व अन्य संस्थान जैसे आई.आई.टी., कानपुर के अनुभव का लाभ भी लिया जाये।

7– **महत्वपूर्ण निर्देश** :– बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि के सुझाव एवं चर्चा में आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नवत् निर्देश दिये गये :–

i. विभागों/संस्थाओं द्वारा संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत जो भी सृजित परिसम्पत्ति एवं अवस्थापनाएं सृजित की गयी हैं, उनकी शत्–प्रतिशत जियो–टैगिंग सुनिश्चित करायी जाय।

ii. आर0के0वी0वाई0 की संचालित परियोजनाओं में अन्य स्त्रोंतो से वित्त पोषित कार्यक्रमों के साथ द्विरावृति रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

iii. समस्त विभाग/संस्थाएं आर0डी0एम0आई0एस0 में नियमित रूप से स–समय वांछित सूचनाएं फीड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

iv. परियोजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से ही देय अनुदान का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।

v. जिन परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के अभिमत प्राप्त नहीं हुये हैं, के सम्बन्ध में भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही परियोजना का वित्त पोषण सुनिश्चित कराया जाय।

केन्द्र सरकार के अभिमत प्राप्त होने पर उक्त दिये गये परामर्श के अनुसार ही अनुपालन/क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।

vi. कृषि विभाग द्वारा माह जुलाई, 2020 के प्रथम पक्ष में राज्य स्तरीय परियोजना जॉच समिति (SLPSC) बैठक आयोजित कराकर दिनांक 31.07.2020 तक आगामी राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक का आयोजन सुनिश्चित कराया जाय।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग–3,
संख्याः– 629 /12–3–2019–100(04)/2019
लखनऊः दिनांक 24 जून, 2020

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, मत्स्य विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, नई दिल्ली।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार, कृषि, सह0 एवं कृषक कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
6. सलाहकार, कृषि, नीति आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, नई दिल्ली।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
11. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
13. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
14. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
15. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
16. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
17. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
18. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
19. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
20. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
21. प्रमुख सचिव, रेशम विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
22. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
23. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
24. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
25. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
26. कुलपति, सैम हिग्निबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नालाजी एण्ड साइंसेज़, प्रयागराज।
27. कुलपति, पं0 दीनदयाल उपा0 पशु चिकित्सा विज्ञान वि0वि0 एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
28. कुलपति, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा।
29. कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
30. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
31. निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ।
32. निदेशक, आर0के0वी0वाई0, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
33. निदेशक, भारत सरकार, गन्ना विकास निदेशालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ

34. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
35. निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था उ0प्र0, लखनऊ।
36. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
37. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
38. निदेशक, मत्स्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
39. निदेशक, रेशम विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।,
40. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
41. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ।
42. निदेशक, आई0आई0एस0आर0, लखनऊ।
43. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
44. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
45. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
46. परियोजना समन्वयक, कृषि विविधीकरण परियोजना, उ0प्र0 लखनऊ।
47. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
48. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0, लखनऊ।
49. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।
50. नोडल अधिकारी रा.कृ.वि.यो., उ.प्र. कृषि भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव